

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : आदर्श इण्टर कालेज
 2. संस्था का पता : सियावां भितरी, जिला—गाजीपुर
 3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
 4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :—
संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी।
- आजीवन सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 1001/- रु० नगद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल सम्पत्ति एक बार में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।
- सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 101/- रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।
- निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।
1. मृत्यु हो जाने पर।
 2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
 4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग—पत्र प्राप्त होने पर।
 5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
 6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
 7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
6. संस्था के अंग : (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति
7. साधारण सभा
(क) गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. चार के अनुसार साधारण सभां का गठन किया जायेगा।
- (ख) बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्कतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

राज्यालय प्रिवेट, सूचना अवधि
आदर्श इण्टर कालेज
भितरी-गाजीपुर
राज्यालय चौक

: साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

कागज अदाय संहिता प्रतिलिपि
टिटिजा कुमारी

कृपया दस्तावेज अनुमति देने के लिए यह अपेक्षित है।
प्राप्ति दस्तावेज के लिए यह अपेक्षित है।

प्रबन्धक
आदर्श इण्टर कालेज छियावां
भितरी-गाजीपुर

(घ) गणपूर्ति

साधारण सभा की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।


(ङ.) संस्था का वार्षिक अधिवेशनः—

संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार संस्था के कार्यालय पर हुआ करेगी।

(च) साधारण सभा के कर्तव्यः—

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचार के लिये भेजे गये प्रस्तावों, मामलों आदि पर विचार करना।
- 2.. संस्था की स्थापना नीति, उसके कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्धारण करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।

नोटः—



संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया के लिये स्वीकृति प्रदान करना। संस्था अपनी चल अचल सम्पत्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से समउद्देशीय संस्था को संस्था हित में स्थानान्तरण / लीज पर कर सकती है।

8. प्रबन्धकारिणी समितिः—(क) गठन

प्रबन्धसमिति का गठन साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, कोषाध्यक्ष, के अलावा 7 प्रबन्ध समितिं के सदस्य होंगे।

(ख) बैठके :- प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति

प्रबन्धसमिति की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की गणपूर्ति सभी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के रथान रिक्त होने पर साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन शेष अवधि के लिये कर लिया जायेगा।

(ङ.) रिक्त स्थानों की पूर्तिः—

राजालक्ष्मी इण्टर कॉलेज
आद्यक्ष इण्टर कॉलेज
रामगंगना इण्टर कॉलेज आजीपुर

अग्रिम अद्यम

संस्था प्रतिलिपि

ट्रिप्पी इण्टर कॉलेज

प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति
प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति

ग्राहर इण्टर कॉलेज लियार्ड
संस्था प्रतिलिपि वर्ती लियार्ड
संस्था प्रतिलिपि वर्ती लियार्ड

(च) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकार :--

1. संस्था के वज्र पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।
2. संस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिये उपसमितियों का गठन करना।
3. संस्था के लिये दान, अनुदान, चन्दे आदि प्राप्त करना।
4. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्कापित करना।
5. संस्था के लिये चल अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना।
6. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

(छ) कार्यकाल :--

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :--

अध्यक्षः :-

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत दान करने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
3. बैठक करने के लिये प्रबन्धक के राय से दिनांको का अनुस्तोदन करेगा।
4. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

उपाध्यक्षः :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

प्रबन्धकः :-

समाजान्तर बैठक
प्रबन्धक
जनरल इष्टर छाल
किंतु-गाजीपुर

1. संस्था के लिये दान अनुदान चन्दे आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदें देना।
2. आवश्यकतानुसार सामान्य व विशेष बैठक बुलाना तथा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करना।
3. बैठक करने के लिये सभी सदस्यों को सूचनाये देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना।
4. संस्था से सम्बन्धित कागजात एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशियों आदि का भुगतान स्वीकृत करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
7. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

समाजान्तर बैठक

प्रबन्धक
जनरल इष्टर छाल
किंतु-गाजीपुर

आदर्श इष्टर फालेज सिवार
किंतु-गाजीपुर

8. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।
9. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

उपप्रबन्धकः—

प्रबन्धक की अनुपरिस्थिति में प्रबन्धक द्वारा सौंपे गये कार्यों को पूरा करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

कोषाध्यक्षः—

1. संस्था के आय-व्यय का हिसाब किताब तैयार करना।
2. संस्था आय-व्यय के वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना।
3. प्रबन्धक के आदेशानुसार समर्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संसोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संसोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11. संस्था का कोषः—

किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समर्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षणः—

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) कराई जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्वः—

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक पर होगा।

14. संस्था के अभिलेखः—

संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होगा।

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. कार्यवाही रजिस्टर | 2. सदस्यता रजिस्टर |
| 3. रटाक रजिस्टर | 4. कैश बुक आदि |

15. संस्था के विघटनः—

संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक.....

राम जान्म चौके

ममा लाल दमद

पीटीजा कुमारी

हस्ताक्षर *रमेश कुमार* *प्रबन्धक*

आईई इंस्टर लासेज *प्रिया-प्रस्तुर*

RK
प्रबन्धक
आईई इंस्टर लासेज सियावा
मित्री-गाजीगढ़